न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 104 /2016

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा–सी स्कीम जयुपर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. सुगनचन्द पुत्र श्री बालूराम,
422, कमल सविता स्कुल के पास, अर्जुनलाल सेठी कॉलोनी, पर्वतपुरा, अजमेर
जिला–अजमेर (राजस्थान)

.....अप्रार्थी / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :–

सुनील विजय अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 15.02.2017.

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी सुगनचन्द पुत्र श्री बालूराम, 422, कमल सविता स्कुल के पास, अर्जुनलाल सेठी कॉलोनी, पर्वतपुरा, अजमेर जिला–अजमेर (राजस्थान) को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप 422, अर्जुनलाल सेठी नगर योजना, ज्ञानविहार कॉलोनी, अजमेर (राजस्थान) स्थित सम्पति को बन्धक रखकर दिनांक 18.08..2011 को राशि रूपये–06,60,000/– (अक्षरे छह लाख साठ हजार रूपये) की ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण भुगतान करने में डिफाल्टर होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.08.2016 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–05,91,233.60/– (अक्षरे पांच लाख इकरानवे हजार दो सौ तैतीस रूपये साठ पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security intrest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को सूचित किया गया। अप्रार्थी0 उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हे सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे। धारा 14 के तहत कार्यवाही दौरान ऋणी/गारण्टर एवं तृतीय पक्ष को नोटिस जारी करने एवं सुनने की आवश्यकता नहीं है तथा प्रार्थना पत्र में एक माह के भीतर आदेश पारित किये जाने का प्रावधान है।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

567

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security intrest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति 422, अर्जुनलाल सेठी नगर योजना, ज्ञानविहार कॉलोनी, अजमेर (राजस्थान) स्थित का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 15.02.2017 को सुनाया गया।

15/2/17

(गौरव गोयल)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner